पं०जावक
22/09/09

56

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/ 2105 **Dated: -** 15/9/09

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

17 SEP 2009

Sir,

Audit Report No.- **163/2009-10** on the accounts of **Nagar Panchayat Kateya** for the period **2005-06 to 08-09** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

15.9.09

Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

Encl: -As above

22/09/09

955
24/9/09

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 163/09-10

नगर पंचायत, कटेया, गोपालगंज

1. प्रस्तावना :-

नगर पंचायत, कटेया का वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 06.05.2009 से दिनांक 16.05.09 तक किया गया।

2. प्रशासन :-

नाम	अवधि
(i) अध्यक्ष :-	
(क) श्री राजेश कुमार राय	मई 2002 से मई 2007 तक
(ख) श्रीमती मेनका देवी	जून 2007 से 31.03.09 तक
(i) उपाध्यक्ष :-	
(क) श्रीमती जानकी देवी	मई 2002 से मई 2007 तक
(ख) श्री अवधेश प्रसाद	जून 2007 से 31.03.09 तक
(iii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी :-	
(क) श्री संजय कुमार शर्मा	01.04.05 से 24.08.05 तक
(ख) श्री अरविन्द कुमार भारती	25.08.05 से 05.03.09 तक
(ग) रिक्त	06.03.09 से अद्यतन

3. पूर्ववत्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

पुर्ववत्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन के निरस्त कंडिकाओं एवं लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्न है :-

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 एवं वर्ष	अंकेक्षण की अवधि	कुल कंडिकायें	निरस्त की गयी कंडिकाओं	लंबित कंडिकाओं की सं0
644/05-06	1997-98 से 2004-05 तक	22	9 (1,2,3,5,6,7, 9,21,22)	13

इसके अलावा अन्य पुर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित कंडिकाओं की वर्त्तमान स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। साथ ही उनका अनुपालना प्रतिवेदन भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कंडिकाओं के वर्त्तमान स्थिति की जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं हो सका। पुर्वदत्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को भेजा जाय।

4. अंधिदृश्य :-

नगर पंचायत कटेया के वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान किये गये वित्तीय संव्यवहार पर प्रारम्भिक शेष, प्राप्तियाँ, व्यय एवं अंतशेष का विवरण निम्नलिखित तैयार किया गया है :-

क्र0सं0	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	प्रारम्भिक शेष	1340962	2170797	2360455.00	3304990.70
2	प्राप्तियाँ	2755881	1425745	14077042.00	1906662.00
3	कुल	4096843	3596539	3837497.00	5211625.70
4	व्यय	1926049	1236084	532506.30	67624.00
5	अन्त शेष	2170794	2360455	3304990.70	5144028.70

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट III पर)

दिनांक 01.04.05 को रोकड़ बही का प्रारम्भिक शेष राशि रू0 1340962.00 दिखाया गया है, संबंधित विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	विवरण	(राशि रू0)
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	241316
2	शहरी स्वंय नियोजन कार्यक्रम (USEP) (SJSRY) की एक इकाई	344584
3	एस0जी0एस0वाई0 (SJSRY) (Infrastructure) (Tybe well)	343157
4	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	169217
5	एकादश वित्त आयोग	237688
6	कार्यालय व्यय	5000
	कुल	1340962

आय-व्यय विवरणी में दिखाये गये आंकड़ो सामान्य रोकड़ बही एवं गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत खाता संख्या 3608 एवं भारतीय स्टेट बैंक, कटेया के बचत खाता संख्या 30390506845 (BRGF) में किये गये संव्यवहार के आधार पर तैयार किया गया है।

सामान्य रोकड़ बही में वित्तीय वर्ष 2008-09 का अंत शेष (दिनांक 05.03.09 तक ही रोकड़ बही लिखा गया था) राशि रू0 390851 6.70 था, जिसमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) की राशि रू0 1214262.00 रू0 एवं बैंक खाते में प्राप्त ब्याज की राशि रू0 21250.00 (कुल 1235512.00) की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु अलग रोकड़ बही संधारित था एवं इसकी राशि को भारतीय स्टेट बैंक, कटेया के खाता संख्या 30390506845 में रखा गया था। रोकड़ बही शेष का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(52)

5. आंतरिक लेखा परीक्षा :–

नगर पंचायत के आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922, तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावलियों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है । फिर भी बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 32, 53, 64 एवं 73 (A) में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी, द्वारा अपनायी जाने वाली आंतरिक जाँच की प्रक्रिया का प्रावधान है ये प्रावधान इसलिए किए गए है कि पालिका, लेखा के संधारण में समन्वय हो सके तथा त्रुटियों की पुनरावृति न हो।

नगर पंचायत, कटेया के अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि विहित जाँच प्रक्रिया का पालन किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण अनेक त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई। इन त्रुटियों की विवेचना आगे के कंडिकाओं में की गई है।

नगर पंचायत द्वारा निश्चित अंतराल पर यदि जाँच प्रक्रिया का पालन किया जाता तो वैसी त्रुटियाँ जिनकी विवेचना की गई है तथा वैसी त्रुटियाँ जो प्रकाश में नहीं आ सकी, टाली जा सकती थी।

6. लेखा परीक्षा परिक्षेत्र :–

लेखा परीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –I में तथा जो अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए या असंधारित थे उनकी सूची परिशिष्ट –II में दी गई है।

7. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ :–

क्र०सं०	कंडिका सं०	विवरण	राशि (रू०)
1	11(i)	जमा नहीं	61755.00
2	11(ii)	प्रत्यक्षण शीर्ष विनियोग	42785.45

3	13	नाजिर द्वारा राशि का संधारण (cash in hand)	4341.25
4	14	जीप/बस स्टैण्ड की बंदोबस्ती में नहीं वसूली गई राशि	7655.00
5	15	करों को नहीं लगाया जाना (Non impasition of Taxes)	–
6	17	नगर पंचायत में एक भी कर्मचारी नियुक्त नहीं	–
7	19(iii)(क)	सोलर लाइट क्रय में अनियमितताये	385000.00
8	20	बिक्री कर/वैट की राशि जमा नहीं	108976.00
9	21	संदिग्ध निकासी	1000000.00
10	22	अनियमित भुगतान	166067.00

8. सरकारी अनुदान :–

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 144 के अनुसार नगर पंचायत को अनुदान पंजी का संधारण करना था, लेकिन अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत कलेया द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रकार के प्राप्त अनुदानों का प्रारंभिक शेष, प्राप्त अनुदान की राशि, व्यय की गई राशि तथा वर्ष के अंत में अनुदान के अव्ययित अवशेष की स्थिति की जानकारी लेखा परीक्षा को नहीं हो पायी। यद्यपि रोकड़ बही में अंकित सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2005–06 से 2008–09 तक प्राप्त अनुदान की राशि रू0 6946884.00 थी (संबंधित विवरण परिशिष्ट IV पर)

संबंधित अनुदानों की संस्वीकृति से संबंधित सरकारी पत्र/आदेश अंकेक्षण में आंशिक रूप से उपलब्ध कराया गया तथा सरकार को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

9. अन्तशेषः-

रोकड़ बही के अनुसार 05.03.09 (रोकड़ बही इसी तिथि तक लिखा गया था) को 5144028.72 रू0 अंत शेष था, जबकि बैंक पास बुक/ बैंक स्टेटमेंट, गोपालगंज क्षेत्रिय ग्रमीण बैंक कटेया बचत खाता सं0 -3608 (दिनांक 06.03.09 तक अद्यतन किया हुआ) तथा भारतीय स्टेट बैंक, कटेया खाता संख्या 30390506845 (दिनांक 31.12.08 तक अद्यतन किया हुआ) के अनुसार दि0 31.03.09 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 3885557.00 एवं 1235512.00 कुल 5121069.00 रू0 शेष था।

बैंक खाते तथा रोकड़ बही के मध्य 22947.70 रू0 का अंतर था। उपरोक्त दोनों आंकड़ों के मध्य अंतर का समाधान नहीं किया गया था।

अतः रोकड़ बही एवं बैंक खाते के मध्य अंतर को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंतर का समाधान किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में इसे दिखाया जाये।

10.बजट :-

बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 71 से 76 तक में निहित प्रावधानों के अनुसार नगर पंचायत को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये बजट प्राक्कलन तैयार करना था, जिसमें संबंधित वर्ष की विभिन्न आय स्त्रोतों से अनुमानित आय तथा विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय को दर्शाना था।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 76 के अनुसार स्वीकृत बजट प्राक्कलन में प्रावधान के बिना कोई भी व्यय नहीं करना था । अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के लिये बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था, जो उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था।

बजट प्राक्कलन के अभाव में वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में किया गया कुल व्यय राशि रू0 3762260.30 बजटीय नियंत्रण में नहीं था और कुल व्यय अनियमित था।

11.(i) जमा नहीं :-

रोकड़ बही, नाजिर रसीद तथा बैंक पास बुक के नमूना जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिये, नाजिर रसीद से राशि रू0 61755.00 रू0 की वसूली (प्राप्ति) की गई थी, लेकिन इस राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	नाजिर रसीद सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	विवरण
1	141901से141948/ 27.04.07	13800	नामांकन शुल्क (ठेकेदारी हेतु) से प्राप्त राशि
2	141951से141962/ 28.04.07	3600	नामांकन शुल्क (ठेकेदारी हेतु) से प्राप्त राशि
3	141963से141989/ 30.04.07	7800	नामांकन शुल्क (ठेकेदारी हेतु) से प्राप्त राशि
4	141990/21.05.07	7500	श्रीमती लीला देवी, बीडीएस से योजना सं0 22/05-06 (रा0 गं0व0यो0) में दिए गये अग्रिम के वसूली की राशि
5	141991से141994/ 15.05.08	1400	नामांकन शुल्क से प्राप्त राशि
6	141995/दि015.05.08	17655	जीप/बस स्टैण्ड का डाक एवं निबंधन शुल्क से प्राप्त राशि
7	141996/दि018.02.09	10000	जीप/बस स्टैण्ड का डाक एवं

			निबंधन शुल्क की शेष राशि
	कुल योग	61755	

अतः राशि रू0 61755.00 नाजिर से यथाशीघ्र वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये तथा इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को दी जाये।

12. बैंक ड्राफ्ट को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया :-

रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न व्यक्ति से कुल राशि रू0 60000.00 की प्राप्ति बैंक ड्राफ्ट द्वारा, संवेदक निबंधक शुल्क के रूप में की गई थी। लेकिन उक्त राशि को अंकेक्षण अवधि तक नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। संबंधित विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	बैंक ड्राफ्ट सं0 एवं तिथि		राशि (रू0)	विवरण
1	446568 अनुपलब्ध	तिथि	20000	श्री कपिल देव प्रसाद से संवेदक निबंधक शुल्क की प्राप्त राशि
2	446569 अनुपलब्ध	तिथि	20000	श्री राजु प्र0 वर्णवाल से संवेदक निबंधक शुल्क की प्राप्त राशि
3	446570 अनुपलब्ध	तिथि	20000	श्री राजेश कुमार राय से संवेदक निबंधक शुल्क की प्राप्त राशि
		कुल	60000	

उपरोक्त बैंक ड्राफ्टों से संबंधित विवरण की प्रविष्टि, रोकड़ बही में दिनांक 02.03.09 को किया गया, लेकिन नगर पंचायत निधि में इसे जमा करने हेतु संबंधित बैंक में नहीं भेजा गया था।

अतः उपरोक्त बैंक ड्राफ्टों को यथाशीघ्र नगर पंचायत निधि के संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाये।

13. नगद राशि का नाजिर द्वारा रखा जाना (cash in hand) :–

रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 04.03.09 को (रोकड़ बही इसी तिथि तक लिखा गया था) नगर पंचायत कटेया के नाजिर के पास राशि रू0 4341.25 अवशेष (cash in hand) पड़ा था। बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के अनुसार वसूले गये राजस्व को नगर पालिका निधि में जमा किया जाना है, जबकि नाजिर द्वारा अपने हाथ में रखा जाना वित्तीय अनियमितता है। अतः इस राशि को यथाशीघ्र नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये। तथा स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना के कार्यालय को सूचित किया जाय।

14. जीप/ बस स्टैण्ड एवं भारी वाहनों की बंदोबस्ती :–

नगर पंचायत, कटेया के बोर्ड द्वारा दिनांक 28.03.08 को प्रस्ताव संख्या 03 में कटेया बाजार के अन्तर्गत आने वाले टैक्सी/बस एवं भारी वाहनों के नगर क्षेत्र में प्रवेश पर शुल्क लेने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के आलोक में दिनांक 16.04.08 को खुला डाक किया गया तथा उच्चतम डाकवक्ता श्री मन्टू प्रसाद पिता श्री गणेश प्रसाद गोड़, ग्राम + पोस्ट- कटेया को 32100.00 रू0 में वर्ष 2008–09 हेतु बंदोबस्ती दिया गया था। श्री प्रसाद के द्वारा निम्नलिखित राशि जमा किया गया :–

क्र0 सं0	नाजिर रसीद सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	विवरण
1	141995/ 16.04.08	17655	जीप/बस स्टैण्ड के बंदोबस्ती की राशि
2	141996/	10000	जीप/बस स्टैण्ड के बंदोबस्ती की राशि

	18.02.09		
	कुल योग	27655	

अंकेक्षण टिप्पणी :-

जीप /बस स्टैण्ड एवं भारी वाहनों के बंदोबस्ती संबंधित संचिका के जाँच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आईः-

(i) बंदोबस्तधारी श्री मन्टू प्रसाद द्वारा जमा किये गये राशि रू0 10000.00 का उल्लेख संचिका के आदेश फलक पर नहीं था। दिनांक 16.04.08 के बाद संचिका के आदेश फलक पर कोई टिप्पणी नहीं लिखा गया था। उक्त राशि को न तो बैंक खाते में जमा पाया गया और न ही इसका विवरण रोकड़ बही में था।

(ii) बंदोबस्ती हेतु डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ताओं को जमानत की राशि रू0 5000.00 जमा करने के पश्चात, ही भाग लेना था, जबकि डाक में भाग लेने वाले तीनों डाकवक्ताओं में से किसी के डाक द्वारा भी जमानत की राशि को जमा नहीं किया गया था।

(iii) श्री मन्टू प्रसाद में डाक बन्दोबस्ती दिनांक 16.04.08 को दिये जाने के तीन माह के अंदर 17,655.00 रू0 जमा करना था, जबकि श्री प्रसाद 10 माह के पश्चात दिनांक 18.12.09 को मात्र 10000.00 रू0 ही जमा किया गया।

(iv) उच्चतम डाकवक्ता को आधी राशि डाक समाप्त होते ही जमा करना था। उच्चतम डाकवक्ता श्री मन्टू प्रसाद के बंदोबस्ती की कुल राशि का 50 प्रतिशत (10 प्रतिशत निबंधन शुल्क अतिरिक्त) रू017655.00 तत्काल एवं शेष 50 प्रतिशत (10 प्रतिशत निबंधन शुल्क अतिरिक्त) तीन माह के अंदर एक मुश्त जमा करने हेतु आदेश दिया गया था ।

श्री प्रसाद द्वारा जमा योग्य राशि = 32100+10% निबंधन शुल्क

= 32100+3210

= 35310.00

श्री प्रसाद द्वारा जमा की गई राशि = 17655+10000

= 27655.00

श्री प्रसाद द्वारा जमा करने हेतू बकाया राशि=35310-27655

= 7655.00

शेष राशि रू0 7655.00 को संबंधित दोषी व्यक्ति से यथाशीध्र वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये।

15. करों का नहीं लगाया जाना :-

बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 82 के अनुसार नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार की स्वीकृति के पश्चात् भवन कर एवं अन्य कर लगा सकती है।

अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत कटेया वर्ष 1997-98 से ही क्रियाशील थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2008-09 के समाप्ति के पश्चात भी नगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार का करारोपण यथा भवन कर, जल कर, गल कर, शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस नहीं किया गया था। नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित किये गये विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल टावरों पर भी सरकार द्वारा स्वीकृत दर से कर नहीं लगाया गया। इसी प्रकार भयावह तथा खतरनाक व्यवसाय पर भी कर नहीं लगाया गया।

इन करों को नहीं लगाने से नगर पंचायत, कटेया को इस मद से प्राप्त होने वाली राजस्व से वंचित रहना पड़ा हैं।

इन करों का करारोपण, करों एवं शुल्कों को नहीं लिये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि करों/शल्कों के निर्धारण एवं वसूली हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाये जाये।

16. विलोप्ति :-

17. कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं :-

अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत, कटेया का स्वंय का एक भी कर्मचारी नहीं था। कटेया प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नगर पंचाय, कटेया के कार्यपालक पदाधिकारी तथा लेखा पंजियों का संधारण एक व्यक्ति प्रखण्ड लिपिक अथवा अंचल कार्यालय के लिपिक के द्वारा किया जाता था, जो अपने कार्य के अतिरिक्त यह कार्य कर रहे थे।

यद्यपि, नगर पंचायत को अनेक कार्यों को करने की जिम्मेदारी होती है, यथा- करों को लगाना एवं उनकी वसूली, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, पानी के सफलाई की व्यवस्था, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वियन इत्यादि। इन कार्यों के कार्यान्वियन हेतु नगर पंचायत का स्वंय का कर्मचारी बल होना अनिवार्य था।

कर्मचारियों के पदों की राज्य सरकार से स्वीकृति से संबंधित कोई कागजात अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः सरकार को सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत कटेया को आर्थिक रूप से मजबूत करने एवं इसके बेहतर कार्यान्वियन हेतु, कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रभावी कदम शीघ्र उठाया जाये।

18. रोकड़ बही के संधारण में त्रुटियाँ :-

नगर पंचायत कटेया के रोकड़ बही के जाँच के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियाँ दृष्टिगत हुई :-

(i) रोकड़ बही का संधारण दिनांक 05.03.09 तक ही किया गया था।

(ii) राशि का भुगतान किस मद के योजना हेतु किया गया यह रोकड़ बही में नही लिखा था।

(iii) जारी किये गये चेक का चेक संख्या एवं तिथि कई स्थानों पर नहीं लिखा गया था।

(iv) बैंक शेष एवं रोकड़ बही के शेष का समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(v) आय एवं व्यय को विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत नहीं लिया गया था।

(vi) रोकड़ बही के व्यय पक्ष में भुगतान अभिश्रवों का क्रम अंकित नहीं था।

(vii) रोकड़ बही में कई स्थानों पर काट-छाँट किया गया था। जिसे प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था

उपरोक्त त्रुटियों को दूर कर आगामी अंकेक्षण में इसे दिखलाया जाये।

19. **योजनाओं का कार्यान्वयन :-**

विभिन्न योजनाओं से संबंधित योजना पंजी एवं योजना संचिकाओं के नमूना जाँच से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान कुल 59 योजनाओं का संचालन किया गया, जिनमें से 55 योजनायें पूर्ण थी तथा शेष 4 अपूर्ण थी।

योजनाओं को अपूर्ण छोड़े जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अविलम्ब आवश्यक कदम उठाये जायें। तथा राशि रु0 80,000.00 का सामजंन/वसूली किया जाये।

(योजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट V** में)

42

19 (i) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) :-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत कटेया को निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए :-

क0 सं0	सरकार के पत्रांक/दिनांक	राशि (रू0)	प्राधिकार	विवरण
1	चेक सं0 846498 दिनांक 12.04.05 (वर्ष 2005-06)	120000	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज से प्राप्त	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु
2	इंडियन ओवरसीज बैंक/शास्त्रीनगर बेल्ट्रान भवन, पटना चेक सं0 313656 दिनांक अंकित नहीं (वर्ष 2005-06)	534451	-	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु
	कुल	654451		

उपरोक्त अनुदान की राशि को गोपालगंज क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के बचत खाता संख्या 3608 में रखा गया था।

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.09 को अवशेष राशि का निम्नलिखित था :-

प्रारंभिक अवशेष - 241316.00

अनुदान - 654451.00

कुल राशि - 895767.00

योजनाओं पर व्यय - 695439.00

अंतिम अवशेष - 200328.00

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे गरीबों को स्वरोजगार एवं मजदूरी उपलब्ध कराना था। यह दो भागों में विभक्त था।

(i) शहरी स्वरोजगार नियोजन कार्यक्रम (USEP)

(ii) शहरी मजदूरी नियोजन कार्यक्रम (UWEP)

यह योजना तीन भागों में विभक्त था :–

(i) शहरी स्वरेजगार नियोजन कार्यक्रम :–

(क) शहरी गरीबों को स्वंय नियोजित संस्थाओं को स्थापित करने में मदद करना

(ख) महिलाओं एवं बच्चों के विकाश के लिए स्वंय नियोजि संस्थाओं के स्थापना हेतु मदद करना

(ग) लाभुकों को उनकी योग्यता कौशल में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

(व्यवसायिक एवं तकनीकि)

शहरी स्वंय नियोजन कार्यक्रम में 31.03.09 को निम्नलिखित राशि अवशेष था :–

प्रारंभिक अवशेष –	344584.00
प्राप्तियाँ(2005–06से08–09तक) –	शून्य
कुल –	344584.00
व्यय –	शून्य
अंतिम शेष –	344584.00

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान इस मद में किसी भी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया था तथा 01.04.05 को अवशेष राशि रू0 344584.00 वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर भी यथावत थी। इस मद से योजनाओं के कार्यान्वयन नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया। अतः उक्त राशि से योजनाओं का संचालन किया जाये अथवा इस राशि को अनुदान स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाये।

19.(ii) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकस योजना :-

इस योजना में निम्नलिखित राशि प्राप्त हुए :-

क्र0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	किससे प्राप्त हुआ	अनुदान का उद्देश्य
1	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज, चेक सं0 051498, दि0 06.05.05 (वर्ष 2005-06)	1762000	बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु

दिनांक 31.0309 को इस योजना में निम्नलिखित अवशेष था :-

प्रारंभिक अवशेष - 169217.00

प्राप्त अनुदान - 1762000.00

कुल - 1931217.00

योजनाओं पर व्यय - 1860631.00

अंतिम अवशेष - 70536.00.00

रोकड़ बही में दिनांक 31.03.09 को इस योजना का अवशेष 66,636.00 दिखाया गया था, जबकि रोकड़ बही के जाँच में इसका अवशेष 70536.00 पाया गया। राशि रू0 3900 के इस अंतर का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया

अतः आगामी अंकेक्षण में इसे स्पष्ट किया जाये।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(i) एन0एस0डी0पी0 अन्तर्गतकुल 25 योजनायें ली गई थी, जो अंकेक्षण अवधि में पुरी हो चुकी थी। व्यय की गई राशियों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया,

(ii) योजनाओं का कार्यान्वयन कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कराया जाना था, जबकि कुल योजनाओं यथा -योजना संख्या 15/05-06, 20/05-06 एवं 21/05-06 में विभागिये अभिकर्त्ता श्री राजकुमार प्रसाद, कनीय अभियंता के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

(iii) योजना पंजी में कई योजनाओं पर अभिकर्त्ता का नाम अंकित नहीं था, यथा - 05/05-06, 06/05-06, 07/05-06; एवं 08/05-06 से 11/05-06 तक।

(iv) इस योजना में 10 प्रतिशत रलम वासियों के लिये नये आवास निर्माण/उन्नयन पर व्यय करना था। इन योजनाओं को योजना पंजी में अलग योजनाओं (एन0एस0डी0पी0) के रूप में दिखाया गया था। तथा लिये गये कुल 8 योजनाओं में 5 योजनाये पूर्ण थी तथा 3 अपूर्ण थी। अपूर्ण योजनाओं में कुल 80,000.00 रू0 अग्रिम की राशि लम्बित थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क0सं0	योजना सं0 एवं वर्ष	अग्रिम की राशि (रू0)	अग्रिम धारक का नाम
1	02/05-06	25000	श्री रामप्रीत यादव
2	03/05-06	25000	श्री गौरी शंकर यादव
3	05/05-06	30000	श्रीमती इसरावती देवी
	कुल	80000	

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के 10 प्रतिशत राशि से संचालित हुई आवास निर्माण से संबंधित योजनाओं के संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि कुछ संचिकाओं के मापी पुस्तिका में किये गये कार्य की मापी अंकित है, लेकिन ईंट, सिमेन्ट छड़, बालू तथा मिट्टी की खरीद से संबंधित अभिश्रव उपलब्ध नहीं था साथ ही मास्टर रोल भी उपलब्ध नहीं था । ऐसी परिस्थिति में कनीय अभियंता द्वारा प्रथम अग्रिम की पश्चात द्वितीय अग्रिम हेतु अनुशंसा करना उचित नहीं था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट –VI पर)

19 (iii) द्वादश वित्त आयोग :–

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायत कटेया को वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ : -

क0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	किससे प्राप्त हुआ	अनुदान का उद्देश्य
1	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज, चेक सं0 198528 दि0	603547	बिहार सरकार, नगर विकास	योजनाओं के

	अनुपलब्ध (वर्ष 2005-06)		विभाग, पटना	कार्यान्वयन हेतु
2	चेक सं0 अंकित नहीं बिल सं0 02/2006-07	387606	बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु
3	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज, चेक सं0 965641 दि0 31.03.08 (वर्ष 2007-08)	599686	बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु
4	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज, चेक सं0 2275919 दि0 अनुपलब्ध (वर्ष 2008-09)	299844	बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना	योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु
	कुल	1890683		

दिनांक 31.03.09 को द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित राशि अवशेष था :-

प्रारंभिक शेष (01.04.05) - शून्य

प्राप्त अनुदान (वर्ष2005-06से08-09तक)- 1890683.00

योग - 1890683.00

व्यय (वर्ष2005-06से08-09तक) - 948390.00

अवशेष (31.03.09 को) - 942293.00

द्वादश वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि को निकायों द्वारा कार्य योजना तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराना था। तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन, निर्वाचन मंडल का विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर प्रदत्त वित्तीय शक्तियों की अधिसीमा के अन्तर्गत कराया जाना था।

इस मद के अन्तर्गत प्राप्त कुल राशि में से 50 प्रतिशत राशि ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन पर खर्च किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक प्रतिशत राशि शहरी स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों एवं सिटी मैनेजरों की क्षमता विकास पर खर्च किया जाना था। अधिकतम 3 प्रतिशत एवं न्यूनतम एक प्रतिशत राशि ई-गवर्नेन्स पर तथा राशि जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई तथा शेष अन्य मूल-भूत नागरिक सेवाओं एवं सुविधाओं पर खर्च किया जाना था।

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था। योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

(i) दिशा निर्देश के अनुसार, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन पर 50 प्रतिशत, एक प्रतिशत स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं सिटी मैनेजर की क्षमता विकास पर, एक से तीन प्रतिशत ई-गवर्नेन्स पर तथा शेष राशि जलापुर्ति, स्वच्छता एवं सफाई इत्यादि योजनाओं पर व्यय नहीं किया गया था। वर्ष 2005-06 में 11 योजनायें ली गई थी, जो मुख्यतः सड़क निर्माण इत्यादि से संबंधित थी। वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 में एक भी योजना नहीं लिया गया। उक्त अवधि में योजना नहीं लिये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। वर्ष 2007-08 में एक (1) योजना लिया गया था, जो सोलर लाइट के क्रय से संबंधित थी।

(ii) कार्यान्वित की गई योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iii) कार्यान्वित की गई योजनाओं से संबंधित भौतिक प्रगति प्रतिवेदन की प्रति को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

योजना संचिकाओं के नमूना जाँच में पाई गई अन्य अनियमिततायें निम्नलिखित है :-

19 (iii) (क)सोलर लाइट के क्रय एवं प्रतिस्थापन (Installation) में अनियमितताः–

योजना संख्या – 01/07–08 (द्वादश वित्त आयोग)

योजना का नाम – सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम का क्रय

अभिकर्त्ता का नाम – मे0 अमीत इन्टर प्राइजेज, गोपालगंज

प्राक्कलित राशि – 385000.00 रू0

वास्तविक भुगतान – 385000.00 रू0

प्रशासनिक स्वीकृति – अनुपलब्ध

तकनीकि स्वीकृति – अनुपलब्ध

कार्य प्रारम्भ होने की तिथि – 20.04.07

कार्य पूर्ण हुआ – 20.12.07

कार्य पूण होना था – 22.04.07 (18.04.07 से 22.04.07 के दौरान) ।

अभिकर्त्ता को किये गये भुगतान का विवरण :–

क0सं0	राशि (रू0)	चेक सं0 एवं तिथि	विवरण
1	175000	उ0वि0क्षे0ग्रा0बैंक, गोपालगंज चेक सं0 027550 1/20.04.07	प्रथम भुगतान
2	160000	उ0वि0क्षे0ग्रा0बैंक, गोपालगंज चेक सं0 027550 2/18.05.07	द्वितीय भुगतान

3	50000	उ0वि0क्षे0ग्रा0बैंक, गोपालगंज चेक सं0 0275506/20.12.07	तृतीय एवं अंतिम भुगतान
कुल	3,85,000		

नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3115 दिनांक 11.03.06 के द्वारा बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर पंचायत कटेया को 387606.00 रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था। इस आवंटन के संदर्भ में सोलर लाइट क्रय करने हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 12.02.07 को क्रय समिति की बैठक मे आठ निविदाकर्त्ताओं में से दो निविदाकर्त्ताओं –

(i) मेसर्स माँ अक्षय उर्जा, गोपालगंज तथा (ii) मेसर्स अमित इन्टर प्राइजेज, गोपालगंज को 35,000.00 रू0 प्रति सोलर लाइट के दर से आपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह सोलर लाइटें नगर पंचायत, कटेया के निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाना था :–

(ii) वार्ड सं0 8 हनीक मियाँ के घर के सामने।

(ii) वार्ड सं0 7 कटेया गाँव में सुरेश शर्मा के घर के सामने।

(iii) कटेया बाजार शिव मंदिर चौराहे पर।

(iv) कटेया थाना मोड़ के सामने।

(v) वार्ड सं0 5 सब्जी मंडी के पास।

(vi) पंचफेड़वा हरिजन टोली।

(vii) पंकहा मोड़ कटेया बाजार बंगाली ग0 के पी0सी0ओ0 के पास।

(viii) बेतबनियाँ गाँव में बबन चौधरी के दरवाजे के सामने।

(ix) प्रखण्ड कार्यालय परिसर हनुमान मंदिर के पास।

(x) खुरहुरिया गाँव में पोखरा के नजदीक।

(xi) प्रखण्ड कार्यालय आवासीय परिसर प्र0वि0प0 के आवास के समाने।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

(i) योजना से संबंधित संचिका में प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकि स्वीकृति का उल्लेख नहीं था। जिला पदाधिकारी महोदय के कय समिति के बैठक में निर्धारित किये गये फर्मो एंव राशि के आधार पर स्ट्रीट सोलर लाइट कय किया गया था।

(ii) आपूर्तिकर्त्ता फर्म को प्रथम अग्रिम 7,500.00 रू0 या कुल प्राक्कलित राशि का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उसका भुगतान किया जाना था, जबकि फर्म को प्रथम अग्रिम 175000.00 रू0 दिया गया था।

(iii) संचिका में कार्य पूर्णता प्रतिवेदन संलग्न नहीं पाया गया।

(iv) आपूर्तिकर्त्ता फर्म को दिनांक 18.04.07 से 22.04.07 के दौरान सभी चयनित स्थानों पर सोलर लाइट लगाना था, जबकि अभिकर्त्ता द्वारा दिनांक 20.12.07 को कार्य पूर्ण कर लेने एवं बकाया अग्रिम हेतु निवेदन पत्र दिया गया था।

(v) आपूर्तिकर्त्ता फर्म (अभिकर्त्ता) ने किन-किन स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया था, इसका कोई प्रमाण-पत्र संचिका में उपलब्ध नहीं था।

(vi) आपूर्ति किये गये सोलर लाइटों का अभिश्रव/बिल न तो संचिका में उपलब्ध था और नही अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया था।

(vii) क्रय किये गये सोलर स्ट्रीट लाइटों पर वैट की कटौती नहीं की गई थी। संबंधित फर्म द्वारा वैट (VAT) का भुगतान पुर्व में किया गया हो इससे संबंधित कोई भी प्रमाण-पत्र संचिका में संलग्न नहीं था । अतः भुगतान किये गये कुल राशि रू0 385000.00 रू0 4 प्रतिशत 15400.00 रू0 की वसूली संबंधित फर्म से करके सरकार के उचित शीर्ष में जमा किया जाये।

(viii) आवंटित राशि का उपयोग कर सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना था, लेकिन सरकार को यह भेजा गया था। अथवा नहीं या स्पष्ट नहीं हो सका, क्योकि अंकेक्षण में इसकी प्रति को उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त त्रुटियाँ सोलर स्ट्रीट लाइट के क्रय एवं प्रतिस्थापन (Installation)को संदेग्ध बनाती हैं। अतः आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त बिन्दुओं को स्पष्ट किये जाने तक कुल राशि रू0 385000.00 की अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19.(iv) बी0पी0एल0 सर्वेक्षण मानदेय भुगतान :-

बी0पी0एल0 सर्वेक्षण हेतु मानदेय के भुगतान के लिए नगर पंचायत कटेया को निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई :-

क्र0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	किससे प्राप्त हुआ	प्रयोजन
1	चेक सं0 0360852 दि0 24.12.06 (वर्ष 2006-07)	53688	उप विकास आयुक्त, गोपालगंज	वी0पी0एल0 सर्वेक्षण मानदेय भुगतान
2	भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज	18896	उप विकास	पी0पी0एल0 सर्वेक्षण मानदेय

चेक सं0 216808 दि0 अंकित नहीं (वर्ष 2007-08)		आयुक्त, गोपालगंज	भुगतान
कुल	72584		

रोकड़ बही में वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर अवशेष राशि 16761.00 रू0 दिखाया गया था। जबकि अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि बी0पी0एल0 सर्वेक्षण पर कुल 29930.00 रू0 ही व्यय किया गया था।

अतः वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर अंतिम अवशेष 42654.00 रू0 होना चाहिए था। नगर पंचायत द्वारा इस अंतर का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। यद्यपि रोकड़ बही में कई मदों पर भुगतान की गई राशि के मदों को नहीं लिखा गया था, अतः वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि को अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया जा सका।

अतः बी0पी0एल0 सर्वेक्षण पर भुगतान की गई वास्तविक राशि को आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट किये जाने तक रोकड़ बही में व्यय दर्शाई गई राशि रू0 72584-16761= 55823 रू0 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19. (v) **कबीर अन्तयेष्टी योजना :-**

कबीर अन्त्योष्टि योजना में नगर पंचायत कटेया को निम्नलिखित राशि प्राप्त हुआ :-

क0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	किससे प्राप्त हुआ	प्रयोजन
1	चेक सं0 957354 दि0 अंकित	39000	जिला पदाधिकारी,	बी0पी0एल0 के

	नहीं (वर्ष 2007-08)		गोपालगंज	अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति के मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु

वर्ष 2007-08 हेतु प्राप्त राशि का उद्देश्य बी0पी0एल0 सूची के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके दाह संस्कार के लिए राशि उपलब्ध कराना था। इस राशि को वार्ड पार्षद एवं कर्मचारी द्वारा संयुक्त खाता खोलकर डाकघर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में रखना था, जो प्रति वार्ड 2 की दर से 3000.00 रू0 दिया जाना था।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कबीर अन्त्योष्टि योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि को सभी वार्ड पार्षदों को 13X3000=39000 रू0 का हस्तांतरण कर दिया गया।

लेकिन उनके द्वारा उक्त राशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कटेया को उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही नगर पंचायत द्वारा उनसे व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

अतः यदि उक्त राशि का व्यय संबंधित मद में हुआ हो, तो इसका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाय अथवा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में राशि को वापसी की कारवाई की जाय।

इस संबंध में अगले अंकेक्षण में उचित स्पष्टीकरण दिये जाने तक राशि रू0 39000.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

19.(vi) हाइड्रोलिक ट्रैक्टर का क्रय से संबंधित अनुदान का उपयोग नही किया जाय :-

आयुक्त एवं सचिव, बिहार सरकार, नगर विकास विभाग, पटना के ज्ञापांक 3515 दिनांक 19.09.06 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में सफाई संबंधी कार्यों के लिये विशिष्ट प्रकार की आधुनिक मशीनों एंव उपकरणों को क्रय हेतु नगर पंचायत कटेया को 425000.00 रु0 अनुदान की स्वीकृति दी गई थी। अनुदान की राशि को गोपालगंज क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, कटेया के बचत खाता संख्या 3608 में रखा गया। स्वीकृति पत्र अनुसार राशि का उपयोग वर्ष 2006-07 में कर सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना था।

उक्त राशि से नगर पंचायत, कटेया में हाइड्रोलिक ट्रैक्टर क्रय करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए दैनिक समाचार पत्र में निविदा निकाला गया।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश का 1354 दिनांक 30.03.05 के अनुसार क्रय समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :-

(i) अनमंडल पदाधिकारी - अध्यक्ष

(ii) कार्यपालक पदाधिकारी - सचिव

(iii) जिला लेखा पदाधिकारी -सदस्य

(iv) जिला अभियंता - सदस्य

उपरोक्त क्रय समिति का बैठक दिनांक 14.03.07 को निर्धारित किया गया। क्रय समिति का बैठक हुआ अथवा नहीं तथा, क्रय समिति की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, इसका संचिका में कोई उल्लेख नहीं था। ट्रैक्टर का क्रय नहीं किया गया तथा अनुदान की राशि का अंकेक्षण अवधि तक उपयोग नहीं किया गया था। फलतः अनुदान प्राप्ति का उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया।

27

अतः इस राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाये अथवा भविष्य में उक्त राशि के उपयोग किये जाने की संभावना न हो तो इसे अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को लौटा दिया जाये।

19.(vii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :-

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत नगर पंचायत कटेया को निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ :-

क्र0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि (रू0)	किससे प्राप्त हुआ	प्रयोजन
1	सेन्ट्रल बैंक, गोपालगंज, के चेक सं0 0408115 दि0 30.04.08 द्वारा प्राप्त (वर्ष 2007-08)	1214262	जिला परिषद, गोपालगंज	पिछड़ा क्षेत्र विकास हेतु

इस निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का लेखा बही में दिनांक 31.03.09 को उपशेष निम्नलिखित था :-

प्रारंभिक शेष - शून्य

प्राप्त अनुदान - 1214262.00

योग - 1214262.00

व्यय - शून्य

अंतिम शेष(31.03.09)- 1214262.00

अंकेक्षण टिप्पणी :-

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 हेतु प्राप्त राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर भी नहीं किया गया था। अतः इस निधि के अन्तर्गत प्राप्त राशि से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लाभ से आम जनता वंचित रही। योजनाओं को नहीं लिये जाने के कारणों को अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद में प्राप्त अनुदान को नियमानुसार यथाशीघ्र उपयोग किया जाये अथवा उपयोग नहीं करने की स्थिति में अनुदान स्वीकृतिकर्त्ता प्राधिकारी को इस राशि को वापस किया जाये।

19.(viii) एस0जी0एस0वाई (SJSRY) :-

इस योजना में दिनांक 31.03.09 को निम्नलिखित अवशेष था :-

प्रारंभिक अवशेष -343157.00

प्राप्तियाँ - शून्य

योग- 343157.00

व्यय - शून्य

अंतिम अवशेष- 343157.00

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक किसी भी योजना का संचालन नहीं किया गया, फलस्वरूप 01.04.05 को अवशेष राशि रू0 343157.00, वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर भी यथावत् थी। उक्त अवधि में इस योजना में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। दिनांक 31.03.09 को अवशेष राशि रू0 343157.00 से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाये, अथवा सरकार को इस राशि को वापस लौटाया जाये।

19.(ix) एकादश वित्त आयोग :-